

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2014 R-1174-15114

- 67
9-4-14 को
विनोद गांगव
30/04/2014 द्वारा प्रस्तुत।
ब
9-4-14
A.S.O
- संतोष सिंह पुत्र श्री शंभू सिंह,
 - मंगल सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह
 - गोविंद सिंह पुत्र श्री भैयालाल सिंह
 - बद्री सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद सिंह
 - रामकरण सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद सिंह
 - लालमणी पुत्र श्री रामप्रसाद सिंह
 - तीरथ सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद सिंह
निवासीगण—ग्राम खुखुड़ा कोठार, तहसील
रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.)

—आवेदकगण

विरुद्ध

- विनोद गांगव
30/04/2014
9-4-2014
- मोतीलाल सिंह पुत्र श्री सीताराम सिंह
 - राम सुजान सिंह पुत्र श्री सीताराम सिंह
 - सुदामा सिंह पुत्र श्री सीताराम सिंह
निवासीगण—ग्राम खुखुड़ा कोठार, तहसील
रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.)
 - म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर, सतना (म.प्र.)


—अनावेदकगण

अधिकारिता रहित नक्शा तरमीम की कार्यवाही एवं राजस्व
निरीक्षक द्वारा आदेश दिनांक 22/07/2012 एवं 24/07/2012
किये गये नक्शा तरमीम के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता,
1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- rd-1.com-3 1. यह कि, अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1174—दो/2014

जिला सतना

संतोष आदि

विरुद्ध

मोतीलाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
05—3—2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक ग्राम खुखड़ा कोठार तहसील रामपुर बघेलालन जिला सतना के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 22—7—2012 एवं 24—7—2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 02—5—2019 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	<p>(आरएफ0 जैन) 3119 सदस्य</p>